

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या – 298 / 2012 / अलवर

मैसर्स शाह स्वीट्स, अलवर।

.....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, अलवर।

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री ओ.पी.गुप्ता, अधिवक्ता

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री एन.के.बैद,

उप राजकीय अधिवक्ता ।

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 31.03.2015

निर्णय

अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, अलवर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.10.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है तथा जो अपील संख्या 228/वेट/2010-11/उपा/अपील्स/अलवर के संबंध में है जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, अलवर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.10.2010 की पुष्टि अपीलीय अधिकारी द्वारा किये जाने को विवादित किया गया है ।

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 12.10.1998 को किया गया। वक्त सर्वेक्षण पायी गयी अनियमितताओं अर्थात् वक्त जांच व्यवसाय स्थल पर पाये गये स्टॉक तथा तैयार माल के आधार पर 6,000/- के "कलाकन्द" का विक्रय बिना बिल जारी किया होना पाये जाने पर प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे "विक्रय कर अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 28 के तहत 6 प्रतिशत की दर से कर, विक्रय कर अधिनियम की धारा 65 के तहत कर की दोगुना शास्ति व विक्रय कर अधिनियम की धारा 62 के तहत लेखा पुस्तकें व्यवसाय स्थल पर नहीं होने के कारण शास्ति आरोपित कर, विक्रय कर अधिनियम की धारा 28 के तहत अनंतिम निर्धारण आदेश दिनांक 05.03.1999 पारित किया गया । उक्त पारित आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त, अपील्स, भरतपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी भरतपुर" कहा जायेगा) के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी भरतपुर द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर, निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित अनंतिम निर्धारण आदेश के जरिये कायम की गयी मांग राशियों को जरिये अपीलीय आदेश दिनांक 07.05.2005 के अपास्त कर दिया गया। अपीलीय अधिकारी भरतपुर द्वारा पारित अपीलीय आदेश के क्रम में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा दिनांक 05.08.2006 को प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र एवम् समय-समय पर उक्त के क्रम स्मरण पत्र भी प्रस्तुत किये गये। प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा जरिये आदेश दिनांक 22.10.2010 के

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि अपीलीय अधिकारी भरतपुर द्वारा अपीलीय आदेश दिनांक 07.05.2005 के जरिये कायम की गयी मांग राशि जो प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा अनंतिम निर्धारण आदेश के जरिये कायम की गयी थी, को अपास्त किया गया था, जबकि प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त अवधि का नियमित कर निर्धारण आदेश दिनांक 30.03.2001 पारित कर, अनंतिम निर्धारण आदेश के जरिये कायम की गयी मांग राशि को समाहित कर, विक्रय कर अधिनियम की धारा 29 के तहत निर्धारण आदेश पारित किया जा चुका है। अतः दिनांक 30.03.2001 से पारित अनंतिम निर्धारण आदेश अस्तित्व में नहीं होने के कारण एवम् अपील निर्णय दिनांक 07.05.2005 से पूर्व ही नियमित निर्धारण आदेश दिनांक 31.03.2001 पारित किया जा चुका है। अतः रिफण्ड हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर दिया गया। उक्त पारित आदेश दिनांक 22.10.2010 के विरुद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील जरिये आदेश दिनांक 10.10.2011 के अस्वीकार कर दी गयी। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

उभयपक्षीय बहस सुनी गयी।

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 28 के तहत आदेश पारित कर, मांग राशियां कायम की गयी थी। तदुपरांत प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के नियमित कर निर्धारण अधिकारी "स.वा.क.अ. घट-द्वितीय, वृत्त-बी, अलवर" से पत्रावली हस्तांतरित करवाये बिना ही दिनांक 30.03.2001 को आलोच्य अवधि का निर्धारण आदेश पारित कर दिया गया। कथन किया कि इसी दौरान नियमित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा भी आलोच्य अवधि का निर्धारण आदेश दिनांक 16.12.2000 को "शून्य" मांग में पारित किया गया है। उक्त बिन्दु पर कथन किया कि एक ही अवधि के दो भिन्न-भिन्न निर्धारण आदेश अलग-अलग निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश पारित नहीं किये जा सकते। इस आधार पर दोनों अधिकारियों द्वारा पारित निर्धारण आदेश दिनांक 30.03.2001 व दिनांक 16.12.2000 विधिशून्य है। अपने कथन के समर्थन में कर बोर्ड की समन्वय पीठ (एकलपीठ)के न्यायिक दृष्टांत 2008 21 टैक्स अपडेट 343 को प्रोद्धरित किया गया।

अग्रिम अभिवाक् किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा विक्रय कर अधिनियम की धारा 37 के तहत प्रार्थना पत्र दिनांक 31.07.2006 को प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसे प्रावधानानुसार एक वर्ष की अवधि तक अर्थात् दिनांक 31.07.2007 तक निस्तारित किया जाना चाहिये था परन्तु प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त तिथि तक निष्पादित नहीं कर, आदेश दिनांक 22.10.2010 को जरिये अस्वीकार कर दिया गया जो विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। अपने कथन के समर्थन में कर बोर्ड की समन्वय पीठ

(एकलपीठ) के न्यायिक दृष्टांत 236/2005/भरतपुर निर्णय दिनांक 24.07.2006 को प्रोद्धरित किया। कथन किया कि उक्त तथ्य अपीलीय अधिकारी के परिज्ञान में लाया गया था परन्तु अपीलीय अधिकारी द्वारा उक्त न्यायिक दृष्टांत का अन्यथा निर्वचन कर, उक्त बिन्दु को अस्वीकार कर दिया गया। अपने उक्त तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया है कि प्रकरण में आलोच्य अवधि का नियमित निर्धारण आदेश अधिनियम की धारा 29 के तहत दिनांक 30.03.2001 को पारित किया जा चुका है, जिसमें अनंतिम निर्धारण आदेश दिनांक 05.03.1999 जो अधिनियम की धारा 28 व 65 के तहत पारित किया गया था, को समाहित कर दिया गया है। कथन किया कि इस संबंध में माननीय शीर्ष न्यायालय राजस्थान उच्च न्यायालय व माननीय कर बोर्ड के न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में, अब किसी प्रकार की कार्यवाही किये जाने योग्य नहीं है, न ही आलोच्य अवधि के लिये नियमित निर्धारण आदेश पारित किये जाने के पश्चात् अनंतिम निर्धारण आदेश में कायम की गयी मांग राशियां वसूली योग्य होना रह गयी है। तदनुसार, प्रस्तुत अपील चलने योग्य नहीं है, उक्त को निष्प्रभावी होना प्रकट कर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज करने की प्रार्थना की गयी। अपने कथन के समर्थन में माननीय न्यायालयों के निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांतों का प्रस्तुत किया है:-

- (i) वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् राजस्थान कराधान अधिकरण 124 एस. टी.सी 298। (राज.)
- (ii) मै0 लीलाधर बियानी एण्ड सन्स बनाम् वाणिज्यिक कर अधिकारी, एन्टीइवेजन, श्रीगंगानगर, 124 एस.टी.सी 294। (आर.टी.टी.)
- (iii) सहायक आयुक्त, पाली बनाम् मै0 महावीर टिम्बर मार्ट, आहोर 18 टैक्स अपडेट 45। (राज.)
- (iv) सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर बनाम् राजस्थान इण्स्ट्रीज 21 टैक्स अपडेट 313 (राज.)
- (v) सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् श्रीराम ट्रेडर्स, भीलवाड़ा, रिवीजन पिटीशन संख्या 857/2003 (राज.) तथा उक्त निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत विभागीय एस.एल.पी. (सिविल अपील) क्रमांक 3037/2004 को माननीय शीर्ष न्यायालय द्वारा जरिये आदेश दिनांक 13.12.2004 के अस्वीकार कर दिया गया है।
- (vi) सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, वृत्त-प्रथम, जयपुर बनाम् मैसर्स रैनबैक्सी लेबोरेटरीज लि. जयपुर 14 टैक्स अपडेट 173। (आर.टी.बी.)
- (vii) सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, वृत्त-प्रथम, जयपुर बनाम् मैसर्स नेस्ले इण्डिया लि. वी.के.आई. एरिया, जयपुर 12 टैक्स अपडेट 217। (आर.टी.बी.)

उपर्युक्त वर्णित न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में गुणावगुण के अन्य बिन्दुओं पर विचार किये बिना ही प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी ।

उभयपक्षीय बहस सुनी गयी । रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया जिससे विदित होता है कि अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 12.10.1998 को किया गया। वक्त सर्वेक्षण पायी गयी अनियमितताओं पाये जाने पर प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे "विक्रय कर अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 28 के तहत अनंतिम निर्धारण आदेश दिनांक 05.03.1999 पारित कर, मांग राशियां कायम की गयी। उक्त पारित आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त, अपीलस, भरतपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी भरतपुर" कहा जायेगा) के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी भरतपुर द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर, निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित अनंतिम निर्धारण आदेश के जरिये कायम की गयी मांग राशियों को जरिये अपीलीय आदेश दिनांक 07.05.2005 के अपास्त कर दिया गया। इसी क्रम में प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 29 के तहत आलोच्य निर्धारण अवधि अर्थात् 1998-99 का निर्धारण आदेश दिनांक 30.03.2001 को पारित कर दिया गया। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि उक्त पारित आदेश दिनांक 30.03.2001 में अधिनियम की धारा 28 व 65 के तहत पारित आदेश के जरिये कायम की गयी मांग राशि रू.11,300/- को भी समाहित किया गया।


अब जो बिन्दु पीठ के समक्ष निर्णयार्थ शेष है वह यह कि क्या अधिनियम की धारा 28 के तहत पारित अनंतिम निर्धारण आदेश (Provisional assessment) के पश्चात् अधिनियम की धारा 29 के तहत पारित नियमित निर्धारण आदेश जिसमें अनंतिम निर्धारण आदेश को समाहित किया गया है, को विवादित किया जा सकता है ? इस संबंध में विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा माननीय न्यायालयों के ऊपर प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया गया। अध्ययन करने के पश्चात्, यह पीठ इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि चूंकि नियमित कर निर्धारण आदेश निर्धारण वर्ष 1998-1999 का अधिनियम की धारा 29 के तहत दिनांक 30.03.2001 को पारित किया जा चुका है। अतः अब इस संबंध में मांग राशियां, जो अनंतिम निर्धारण आदेश दिनांक 05.03.1999 के जरिये वसूली योग्य होना कायम की गयी थी, वसूली योग्य होना, नहीं रह गयी है। फलस्वरूप, अधिनियम की धारा 29 के तहत आदेश पारित हो जाने के कारण प्रस्तुत अपील चलने योग्य नहीं है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.03.2001 के विरुद्ध कोई अपील भी अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गयी है। अतः पारित अंतिम निर्धारण आदेश दिनांक 05.03.1999 को सम्पूरित करने के क्षेत्राधिकार को

लेकर अपीलार्थी की ओर से कोई अपील विचाराधीन नहीं होना अवगत करवाया गया है। अतः अधिनियम की धारा 29 के तहत पारित आदेश पूर्णता ग्रहण कर चुका है।

जहां तक अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा रिफण्ड हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को निर्धारण अधिकारी द्वारा अस्वीकार किये जाने व तदनुसार अपीलीय अधिकारी द्वारा उक्त की पुष्टि किये जाने का प्रश्न है, इस संबंध में पुनः उल्लेखनीय है कि उक्त समस्त प्रार्थना पत्र जो रिफण्ड अथवा अधिनियम की धारा 37 के तहत अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा निर्धारण अधिकारी के समक्ष नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित किये गये हैं, उक्त समस्त कार्यवाही अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अधिनियम की धारा 28 के तहत पारित अनंतिम निर्धारण आदेश के क्रम में की गयी है जिसका अस्तित्व अधिनियम की धारा 29 के तहत पारित आदेश के पश्चात् विधिशून्य हो जाता है। फलस्वरूप, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील जो आदेश दिनांक 22.10.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी थी, को अपीलीय अधिकारी द्वारा विधिक रूप से जरिये आदेश दिनांक 10.10.2011 के अस्वीकार किया गया है क्योंकि पूर्व में पारित अपीलीय आदेश दिनांक 07.05.2005 अस्तित्व हीन आदेश के विरुद्ध पारित किये जाने के कारण विधिशून्य हो जाता है। अतः विधिशून्य आदेश का प्रभाव भी विधिशून्य हो जाता है। पुनः पारित अपीलीय आदेश दिनांक 10.10.2011 की पुष्टि की जाकर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

परिणामतः, अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय प्रसारित किया गया।


31.3.2015
(मदन लाल)
सदस्य